न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भू0रा0/2017/2538 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक–278/अपील/2015–16

.....

मनोहरलाल सोनी आत्मज श्री फूलचंद सोनी
निवासी –ग्राम जादोपुरा, हाल मुकाम चारूआ
तहसील खिरकिया जिला हरदा, म.प्र.

———आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश महोदय हरदा

———अनावेदक

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 05/3/2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक मनोहरलाल ने स्वयं के स्वामित्व की भूमि ख0क0 87/2 रकबा 0.018 हे0 कृषि भूमि पर दुकान बनाकर बैंक को किराये व्यवसायिक प्रयोजन में डायवर्सन कराने हेत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 32/अ–2/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04–11–2015 से प्रश्नाधीन भूमि पर व्यपवर्तन के आदेश

दिये। उक्त व्यपवर्तन आदेश के उपरांत आवेदक द्वारा मौके पर 4002 वर्गफुट पर निर्माण कार्य किया। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच के उपरांत 2002 वर्गफीट भूमि पर अधिक निर्माण कार्य करना पया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 30–5–2016 को आदेश पारित कर ग्राम जादीपुर की परिवर्तित भूमि खसरा कं0 87/2 रकबा 0.18 हे. (2000 वर्गफीट) का डायवर्सन आदेश दिनांक 14–11–2015 निरस्त किया जाकर अनाधिकृत निर्माण मूल रूप में लाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–5–2017 से अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ग्राम जादीपुर की परिवर्तित भूमि खसरा कं0 87/2 रकबा 0.18 हे. (2000 वर्गफीट) का व्यवसायिक प्रयोजन का परिवर्तित लगान 893/– उपकर 447/– कुल 1340/– एवं प्रीमियम 4464/– उपकर 2232/– कुल 6696/– निर्धारित कर शर्तो सहित आदेश दिनांक 04–11–2015 से व्यपवर्तन किया गया था। तहसीलदार खिरकिया के माध्यम से राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदित किया कि आवेदक को सर्वे कमांक 87/2 रकबा 0.18 हे (2000 वर्गफीट) का व्यवसायिक डायर्वन आदेश प्रदान किया है जबकि उसके द्वारा 4000 वर्गफीट पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार 2002 वर्गफीट पर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो व्यवर्तन आदेश का उल्लघंन हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को

5/3/19

2/3

(2)

कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त किया तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया और जबाव आदि प्राप्त किया तथा जांच उपरांत यह पाते हुये कि आवेदक द्वारा डायवर्सन में निहित शर्तों का उल्लंघन पाते हुये आदेश दिनांक 30–5–2016 से पूर्व में दिया डायवर्सन आदेश निरस्त कर अनाधिकृत निर्माण मूल रूप में लाने का आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा डायवर्सन की शर्तों के उल्लंघन करने के कारण डायवर्सन आदेश निरस्त करने के आदेश दिये हैं, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी को डायवर्सन निरस्त करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी ने पुनर्विलोकन अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अपने पूर्व में पारित आदेश की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर निर्णय दिया है। जब डायवर्सन का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया था तब उसे निरस्त करने की अधिकारिता भी अनुविभागीय अधिकारी को थी। ऐसी स्थिति में आवेदक अभिभाषक के तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया का आदेश दिनांक 30–5–2016 एवं अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद का आदेश दिनांक 30–5–2017 यथावत रखे जाते हैं।

3/3

3/19

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,